

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
नुं0-10/2019 ACMS No- 2019/00032

उपनाम -सरकार बनाम रिकू गोयल पुत्र श्री दिनेश गोयल (दिनेश मावा स्टोर धौलपुर)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय


दिनांक -13.07.2019

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में लघु इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री रिकू गोयल पुत्र श्री दिनेश गोयल जाति वैश्य निवासी कृष्णा कॉलौनी बाड़ी रोड धौलपुर (दिनेश मावा स्टोर पुराना बस स्टेण्ड धौलपुर) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एक्ट 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.06.2017 को अप्रार्थी की दुकान दिनेश मावा स्टोर पुराना बस स्टेण्ड धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में लगभग 8 किलो ग्राम बटर जो आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इसमें निलावट का शक होने पर उक्त बटर में से 800 किलो ग्राम बटर वास्ते नमूना जाँच अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त बटर नमूना डी-1326 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 20.06.2017 के अनुसार उक्त बटर सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढ़कर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड बटर का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड बटर बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री रिकू गोयल पुत्र श्री दिनेश गोयल जाति वैश्य निवासी कृष्णा कॉलौनी बाड़ी रोड धौलपुर (दिनेश मावा स्टोर पुराना बस स्टेण्ड धौलपुर) पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 7,000/-रुपये (सात हजार रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चेतन चौहान)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राजस्थान)